उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–2
संख्या 1663 / III(2)2015–13(सामान्य) / 2015
देहरादून : दिनांक 30 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 156 / सत्ताईस(1) / 2015, दिनांक 24 फरवरी, 2015 के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत रू0 5.00 करोड़ तक की लागत के निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तुत आगणनों का तकनीकी परीक्षण विभागीय स्तर से कराये जाने हेतु अस्थाई रूप से अग्रिम आदेशों तक प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून में मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) की अध्यक्षता में तकनीकी सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ (Technical Audit Cell) का गठन किये जाने का आदेश संख्या 1521 / III(2)2015–13(सामान्य) / 2015, दिनांक 26.2.2015 निर्गत किया गया है।

2– उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के स्थान पर अब रू0 5.00 करोड़ तक की लागत के निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तुत आगणनों के तकनीकी परीक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग में समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं की अध्यक्षता में निम्नानुसार तकनीकी सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ (Technical Audit Cell) का गठन एतद्द्वारा किया जाता है :–

1.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के कार्यालय में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
3.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	सदस्य

3– गठित तकनीकी सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आगणनों का तकनीकी परीक्षण करते हुए औचित्यपूर्ण लागत इंगित कर आगणन स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विषयगत पूर्व आदेश दिनांक 26.2.2016 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या 1663 / III(2)2015–13(सामान्य) / 2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
2– प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव